

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मो. खालिक उर्फ अब्दुल खालिक

बनाम

सचिव गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना, जिला- पटना के

माध्यम से बिहार राज्य

2023 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.694

21 अगस्त 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधीर सिंह एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र प्रकाश सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या प्रतिवादी संख्या 9 गैरकानूनी हिरासत में है, जिसके कारण इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' की प्रकृति में रिट जारी करने की आवश्यकता है?

हेडनोट्स

भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—बंदी प्रत्यक्षीकरण—प्रतिवादी संख्या 10 याचिकाकर्ता से प्रेम करती थी, उसने स्वेच्छा से याचिकाकर्ता के साथ अपना घर छोड़ दिया और विवाहित जोड़े की तरह रहने लगी—प्रतिवादी संख्या 10 के पिता ने याचिकाकर्ता और दो अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई—पुलिस ने प्रतिवादी संख्या 10 को ढूंढ निकाला और सीआरपीसी की धारा 161 के तहत उसका बयान दर्ज किया, जहां उसने याचिकाकर्ता के साथ जाने की इच्छा की पुष्टि की—याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 10 के पिता दोनों ने अपने पक्ष में उसकी रिहाई की इच्छा व्यक्त की—प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा जवाबी हलफनामा दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि वह याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है, वह घटना के दौरान नाबालिग थी और अब वयस्क है, जो उसके पिता द्वारा किसी भी हिरासत का खंडन करता है—अपने माता-पिता के साथ उसका संतुष्ट जीवन हिरासत के दावों

को समाप्त करता है—यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन केवल लंबित आपराधिक मामले से बचने का एक प्रयास है।

निर्णय: बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका एक आदेश है जिसमें उस व्यक्ति को, जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है/बंदी बनाया है, न्यायालय के समक्ष उसे प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है, ताकि न्यायालय को यह पता चल सके कि उसे किस आधार पर हिरासत में लिया गया है/बंदी बनाया गया है और यदि ऐसी हिरासत/बंदी के लिए कोई कानूनी क्षेत्राधिकार नहीं है, तो उसे मुक्त किया जा सके—आवेदक को प्रथम दृष्टया गैरकानूनी हिरासत का मामला दिखाना होगा—प्रतिवादी संख्या 10 का प्रति-शपथपत्र याचिकाकर्ता के दावों को प्रभावी रूप से कमजोर करता है—उसने अपने माता-पिता की देखरेख में एक वयस्क के रूप में अपने वर्तमान संतुष्ट जीवन का उल्लेख किया है, जो प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा हिरासत की किसी भी धारणा का खंडन करता है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि वह याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है—प्रतिवादी संख्या 9, जो प्रतिवादी संख्या 10 का पिता है, द्वारा गलत तरीके से हिरासत या हिरासत का विश्वसनीय उदाहरण स्थापित करने के लिए अपर्याप्त आधार—रिट याचिका अवलोकन और निर्देश के साथ निपटाई जाती है। (कंडिका 4, 6 से 8)

न्याय दृष्टान्त

कानू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट, दार्जिलिंग, (1973) 2 एससीसी 674; गृह सचिव (कारागार) एवं अन्य बनाम एच. निलोफर निशा, (2020) 14 एससीसी 161—पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान, 1950।

मुख्य शब्दों की सूची

बंदी प्रत्यक्षीकरण; नजरबंदी; कारावास; आपराधिक मामला; कानूनी रूप से विवाहित पत्नी; नाबालिग।

प्रकरण से उत्पन्न

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री बीरेंद्र कुमार, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से: श्री पी. के. शाही, ए.जी.।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2023 की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.694

थाना कांड सं.-157 वर्ष-2022, थाना-श्यामपुर भथान, जिला-शिवहर

मो. खालिक उर्फ अब्दुल खालिक, पिता-मो. सिराज उर्फ सेराजुल, निवासी गाँव-उदय
छापरा, थाना-श्यामपुर भथान, जिला-शिवहर।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना, जिला-पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना, जिला-पटना।
3. पुलिस महानिरीक्षक, मुजफ्फरपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, शिवहर।
5. पुलिस उपाधीक्षक, शिवहर।
6. पुलिस निरीक्षक, श्यामपुर भतहा थाना, जिला-शिवहर।
7. एस. एच. ओ., श्यामपुर भतहा थाना, शिवहर।
8. जांच अधिकारी, श्यामपुर भतहा थाना, शिवहर।
9. मो. रियाज, पिता-मो. बादुद
10. राजिया खातून, पति- मो. खालिक उर्फ अब्दुल खालिक, पिता-मो. रियाज, दोनों निवासी
गाँव -उदय छापरा, थाना-श्यामपुर भतहा, जिला-शिवहर।

.....उत्तरदाता/ओं

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता के लिए : श्री बीरेंद्र कुमार, अधिवक्ता
उत्तरदाताओं के लिए : श्री पी. के. शाही, ए. जी.

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधीर सिंह

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र प्रकाश सिंह

सी. ए. वी. आदेश

(द्वारा : माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधीर सिंह)

21-08-2023

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को

सुना गया।

2. बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति वाली यह रिट निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए प्रस्तुत की गई है:

“(i) उत्तरदाता संख्या 10 को उत्तरदाता संख्या 9 की कैद से छुड़ाने/बचाने के लिए उत्तरदाता को निर्देश देने हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में उपयुक्त रिट/रिट/निर्देश/निर्देशों/आदेश/आदेशों जारी करने के लिए, जो इस याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, लेकिन उत्तरदाता संख्या 9 को उसके घर में ही कैद करके रखा गया है।

(ii) उचित रिट/रिट/निर्देश/निर्देशों/आदेश/आदेशों जारी करने के लिए आधिकारिक उत्तरदाता को आदेश देने के लिए कि वह इस याचिकाकर्ता की पत्नी को बरामद करे और उसे अपने वैवाहिक जीवन का नेतृत्व करने के लिए सौंप दे और इस याचिकाकर्ता को भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करे।

(iii) किसी भी अन्य राहत/राहतों के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जा सकता है।

3. याचिकाकर्ता के बयान में कहा गया है कि वह और उत्तरदाता संख्या 10, रजिया खातून, एक-दूसरे से प्यार करते थे। 21.08.2022 को, उत्तरदाता संख्या 10 ने मो. खालिक के साथ अपनी इच्छा से अपना घर छोड़ दिया और एक विवाहित जोड़े के रूप में रहने लगी। उत्तरदाता संख्या 9, जो उत्तरदाता संख्या 10 का पिता है, ने याचिकाकर्ता और दो अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366(ए), 34 के तहत श्यामपुर भतहा थाना मामला संख्या 157/2022 दिनांक 06.09.2022 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस

ने पीड़िता (उत्तरदाता संख्या 10) को 19.09.2022 को ढूंढ निकाला और दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत उसका बयान दर्ज किया, जिसमें उसने याचिकाकर्ता के साथ जाने की अपनी इच्छा की पुष्टि की। याचिकाकर्ता की रिहाई की याचिका को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम, शिवहर की अदालत ने 26.12.2022 को खारिज कर दिया। उत्तरदाता संख्या 9 ने भी उसी दिन अपनी बेटी की रिहाई की मांग की, जिसके परिणामस्वरूप विद्वान ए.सी.जे.एम.-1, शिवहर ने यह निर्णय दिया कि पीड़िता को रिहा करने का अंतिम अधिकार सी.डब्ल्यू.सी. के पास है।

4. उत्तरदाता नं. 10 ने 04.08.2023 को एक जवाबी हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत में योग्यता की कमी है। उसने कहा कि वह याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है, घटना के दौरान वह नाबालिग थी और अब वयस्क है, जिससे उत्तरदाता संख्या 9 द्वारा किसी भी हिरासत का खंडन होता है। अपने माता-पिता के साथ उसका संतुष्ट जीवन हिरासत के दावों को खारिज करता है। उसने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन केवल लंबित आपराधिक मामले से बचने का एक प्रयास है।

5. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत दलीलों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री के अवलोकन पर, वर्तमान मामले में विचार के लिए जो मुख्य मुद्दा उत्पन्न होता है, वह है:

“क्या उत्तरदाता संख्या 9 अवैध हिरासत में है, जिसके कारण इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' की प्रकृति में एक रिट जारी करने की आवश्यकता है?”

6. यह स्थापित कानूनी स्थिति है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट एक आदेश है जो उस व्यक्ति को, जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है/बंदी बनाया है, न्यायालय

के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहता है, ताकि न्यायालय को यह पता चल सके कि उसे किस आधार पर हिरासत में लिया गया है/बंदी बनाया गया है और यदि ऐसी हिरासत/बंदी के लिए कोई कानूनी अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो उसे मुक्त किया जा सके। आवेदक को प्रथम दृष्टया गैरकानूनी हिरासत का मामला प्रस्तुत करना होगा। रिट का उद्देश्य मनमाने और अवैध हिरासत के विरुद्ध नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। 'अवैधता' शब्द में गिरफ्तारी या हिरासत के आदेश द्वारा या उस कानून द्वारा संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन शामिल है जिसके तहत आदेश जारी किया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट एक महान संवैधानिक विशेषाधिकार है और अवैध हिरासत के विरुद्ध एक त्वरित और प्रभावी उपाय प्रदान करता है। यह केवल उन्हीं मामलों में जारी किया जा सकता है जहाँ किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गैरकानूनी या अनुचित हिरासत के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है। (1973) 2 एससीसी 674 में प्रतिवेदित **कानू सान्याल बनाम जिला दंडाधिकारी, दार्जिलिंग** के मामले में, यह माना गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण मूलतः न्याय तंत्र से संबंधित एक प्रक्रियात्मक रिट है। इस रिट का उद्देश्य उस व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करना है जिसे अवैध रूप से उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उस व्यक्ति को संबोधित एक आदेश है जिस पर किसी अन्य व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप है, जिसमें उससे उस व्यक्ति का शरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

(2020) 14 एस. सी. सी. 161 में प्रतिवेदित **गृह सचिव (जेल) और अन्य बनाम एच. निलोफर निशा** के मामले में, कंडिका संख्या 16 में यह माना गया है कि:

“ भले ही, दायरे का विस्तार हुआ हो, इस रिट की कुछ सीमाएँ हैं और इस तरह की सीमा का सबसे बुनियादी पहलू यह है कि न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की कोई भी रिट जारी करने से पहले इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि बंदी को बिना किसी

कानूनी प्राधिकार के हिरासत में रखा गया है।”

7. प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में, यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तरदाता संख्या 10 का जबावी हलफनामा याचिकाकर्ता के दावों को प्रभावी रूप से कमजोर करता है। उसने अपने माता-पिता की देखरेख में एक वयस्क के रूप में अपने वर्तमान संतुष्ट जीवन का उल्लेख किया है, जो उत्तरदाता संख्या 9 द्वारा हिरासत में रखे जाने की किसी भी धारणा का खंडन करता है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि वह याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है। परिणामस्वरूप, उत्तरदाता संख्या 9, जो उत्तरदाता संख्या 10 का पिता है, द्वारा गलत तरीके से कारावास या हिरासत का एक विश्वसनीय उदाहरण स्थापित करने के लिए अपर्याप्त आधार है। दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा विचार है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका वर्तमान मामले के तथ्यों पर आधारित नहीं होगी। इसलिए, कोई 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' याचिका जारी नहीं की जा सकती।

8. उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, वर्तमान रिट आवेदन का निपटारा किया जाता है।

(सुधीर सिंह, न्यायमूर्ति)

(चंद्र प्रकाश सिंह, न्यायमूर्ति)

नरेंद्र/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।